

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू०पी० (सी०) सं०-१०४१ वर्ष २०१७

श्रीमती वीणा चंद्रा, पत्नी—अरविंद चंद्रा, निवासी—फ्लैट सं० ९९ / १००, रामायण एन्कलेव,
रिम्स बाईपास रोड, गिटिल कोचा, डाकघर और थाना—कोकर, जिला—रांची—८३४००१

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

१. झारखण्ड राज्य
२. जिला प्रमाण पत्र अधिकारी, द्वारा श्रीमती एनी रिंकू कुजूर, जिला कलेक्ट्रेट, रांची,
थाना—कोतवाली, डाकघर और जिला—रांची—८३४००१
३. भारतीय स्टेट बैंक, हीनू शाखा, जिसका प्रतिनिधित्व शाखा प्रबंधक, डाकघर और
थाना—डोरंडा, जिला—रांची, ८३४००२ के द्वारा किया गया।
४. प्रभारी अधिकारी, डोरंडा पुलिस स्टेशन, डाकघर और थाना—डोरंडा, जिला—रांची,
८३४००२

..... उत्तरदातागण

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता के लिए :—

श्री ए० रशीदी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :—

जी०पी०—I का जे०सी०

3 / 17.04.2018 याचिकाकर्ता ने सर्टिफिकेट केस नंबर 160 (एस0बी0आई0)

हीनू/2015–16 में सर्टिफिकेट ऑफिसर द्वारा दिनांक 23.02.2016 और 28.11.2016 को पारित आदेश को चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता के वकील प्रस्तुत करते हैं कि उसके खिलाफ प्रमाणपत्र की कार्यवाही 4,48,323/- रूपये की राशि की वसूली के लिए शुरू की गई थी। वह प्रस्तुत करते हैं कि बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 7 के तहत 12.01.2016 को एक नोटिस जारी किया गया था। वह प्रस्तुत करते हैं कि इस याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनांक 23.02.2016 को एक डिस्ट्रेस वारंट जारी किया गया है जब प्रमाणपत्र अधिकारी द्वारा नोटिस की तामिला रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी। वह प्रस्तुत करते हैं कि 28.11.2016 को फिर से प्रत्यर्थियों द्वारा एक नया डिस्ट्रेस वारंट जारी किया गया था। वह प्रस्तुत करते हैं कि बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 7 के तहत नोटिस की तामिला रिपोर्ट प्राप्त किए बिना, याची के खिलाफ डिस्ट्रेस वारंट जारी करना बिल्कुल गलत है।

राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि याची प्रमाणपत्र अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था, उसके पास डिस्ट्रेस वारंट जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

मैंने पार्टियों को सुना और मैंने रिकॉर्ड परिशीलन किया है। उपर्युक्त प्रमाण पत्र मामले में दिनांक 12.01.2016 को एक नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 7 के संदर्भ में जारी किया गया है। दिनांक 12.01.2016 के आदेश फलक से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि नोटिस की तामिला रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद रिकॉर्ड को पेश किया जाना चाहिए था और बाद की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई थी। यह रिकॉर्ड 23 मार्च, 2016 पेश किया गया था। दिनांक 23.03.2016 के आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बिहार और ओडिशा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 7 के तहत जारी नोटिस की तामिला रिपोर्ट अभी तक प्रमाण पत्र अधिकारी को प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ डिस्ट्रेस वारंट जारी किया गया। इसी तरह एक बार फिर 28 नवंबर, 2016 को एक डिस्ट्रेस वारंट जारी किया गया, जिसमें रिकॉर्ड पर कोई तामिला रिपोर्ट नहीं थी।

इस प्रकार, रिकॉर्ड से मुझे मालूम होता है कि चूंकि प्रमाणपत्र अधिकारी ने पहले ही तामिला रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, इसलिए 23.03.2016 को उनके समक्ष उस रिकॉर्ड को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। इसे तामिला रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

इसके अलावा दिनांक 23.03.2016 के आदेश से यह स्पष्ट है कि तामिला रिपोर्ट प्राप्त किए बिना एक डिस्ट्रेस वारंट जारी किया गया है। प्रमाणपत्र अधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ उस समय डिस्ट्रेस वारंट जारी नहीं कर सकता था जब तक तामिला रिपोर्ट उसके सामने नहीं रखी गई थी। इस प्रकार, 23.03.2016 दिनांकित आदेश और उसके बाद 28.11.

2016 दिनांकित आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ डिस्ट्रेस वारंट जारी किया गया है, बिल्कुल गलत है। इसलिए, मैंने 23.03.2016 और 28.11.2016 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ डिस्ट्रेस वारंट जारी किया गया था।

चूंकि याची इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो गया है, मैं आज से छह सप्ताह के भीतर बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 9 के तहत आपत्ति के साथ प्रमाण पत्र अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए याचिकाकर्ता को निर्देश देता हूँ। यदि वह उपर्युक्त समय सीमा के भीतर कोई आपत्ति दर्ज कराता है तो प्रमाण पत्र अधिकारी राशि निर्धारित करेगा और कनून के अनुसार अंतिम आदेश पारित करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आज से छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो इस आदेश को भी प्रभावी नहीं किया जाएगा और याचिकाकर्ता के खिलाफ डिस्ट्रेस वारंट लागू किया जाएगा।

उपरोक्त निर्देश के साथ इस रिट आवेदन का निपटान किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया०)

